


विज्ञप्ति

रिट याचिका पी0आई0एल0संख्या 87/2011 अनवर जमाल कजमी बनाम स्टेट उत्तराखण्ड व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 अगस्त 2017 के अन्तर्गत दरगाह पिरान कलियर रूडकी के लेखों की जांच हेतु एक चार्टर एकाउन्टेन्ट को जिन्हें 20वर्ष का अनुभव हो, को नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके द्वारा दरगाह पिरान कलियर रूडकी के 20 वर्षों के लेखों का आडिट किया जायेगा। आडिट उपरान्त आडिट आख्या मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मा0 न्यायालय को प्रस्तुत की जायेगी। चार्टर एकाउन्टेन्ट को वेतन संबंधित भुगतान मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही किया जायेगा। चयनित चार्टर एकाउन्टेन्ट को मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशानुसार कार्य करना होगा। क्या-क्या कार्य किये जाने हैं उसका विवरण मा0 न्यायालय के आदेश में दिया गया है। विस्तृत आदेश मा0 न्यायालय की Website पर देखा जा सकता है।

अतः उपरोक्त एक चार्टर एकाउन्टेन्ट के पद के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति Walk-in- interview हेतु दिनांक 08 सितम्बर, 2017 को जिलाधिकारी कार्यालय के क्रक्ष में समय प्रातः 11.00बजे उपस्थित हो सकते हैं।


(दीपक रावत)
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।


कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या 258/एल0बी0ए0-2017-18

दिनांक 31 अगस्त 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
- 2- अपर जिलाधिकारी-प्रशासन हरिद्वार।
- 3- जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0पोर्टल पर अपलोड करें।


जिलाधिकारी,
हरिद्वार।